भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3322

जिसका उत्तर शुक्रवार, 7 अगस्त, 2026/16 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरकों की निर्बाध उपलब्धता

3322. श्री सनातन पांडेय:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के किसान उर्वरकों की उपलब्धता, मूल्य वृद्धि और समय पर आपूर्ति से संबंधित समस्याओं का सामना कर रहे हैं और यदि हां, तो विशेषकर बलिया लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित जिला-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) उक्त जिले में उर्वरकों के मूल्य निर्धारण की वर्तमान नीति के साथ-साथ पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश, विशेषकर उक्त निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में किसानों को प्रदान की गई उर्वरक सब्सिडी का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार द्वारा उक्त क्षेत्र में उर्वरकों की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने, कालाबाजारी को रोकने और उक्त जिले में किसानों को उचित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए कोई विशेष निगरानी तंत्र स्थापित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में रसायन और उर्वरक उद्योग को बढ़ाने, निवेश प्रोत्साहन और रोजगार सृजन के लिए किसी नई परियोजनाओं/योजना को मंजूरी दी गई है; और
(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

<u>उत्तर</u>

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ङ): उत्तर प्रदेश राज्य सहित, देश में उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा प्रत्येक मौसम में निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं:

(i) प्रत्येक फसल मौसम के प्रारंभ होने से पूर्व कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) सभी राज्य सरकारों के परामर्श से उर्वरकों की राज्य-वार और माह-वार आवश्यकता का आकलन करता है। डीएएंडएफडब्ल्यू द्वारा अनुमानित आवश्यकता के आधार पर, उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करते हुए राज्यों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों का आवंटन करता है और उपलब्धता की लगातार निगरानी करता है।

(ii) देश भर में सब्सिडी प्राप्त सभी प्रमुख उर्वरकों के संचलन की निगरानी एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) नामक एक ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा की जाती है।

(iii) यूरिया और अन्य उर्वरकों की मांग (आवश्यकता) और उत्पादन के अंतर को आयात द्वारा पूरा किया जाता है। मौसम के लिए आयात को पहले ही निश्चित कर लिया जाता है ताकि समय पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

(iv) राज्य सरकारों को नियमित रूप से सलाह दी जाती है कि वे समय पर मांगपत्र जारी करके आपूर्ति को सुव्यवस्थित करने के लिए उत्पादकों और आयातकों के साथ समन्वय स्थापित करें।

(v) राज्यों के लिए रेलगाड़ियों में पर्याप्त रैक देने, उर्वरकों को प्राथमिकता देने और रेलगाड़ियों की समय पर निकासी के लिए रेल मंत्रालय के साथ नियमित समन्वय किया जाता है।

(vi) राज्य के भीतर जिला/ब्लॉक स्तर पर उर्वरकों का वितरण संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

तदनुसार, चल रहे खरीफ 2026 मौसम के दौरान उत्तर प्रदेश में यूरिया, डीएपी, एमओपी तथा एनपीकेएस उर्वरकों की उपलब्धता पर्याप्त बनी हुई है। राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, चल रहे खरीफ मौसम 2026 के दौरान इन उर्वरकों की जिला-वार उपलब्धता का विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, 'उर्वरकों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण' प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के उर्वरकों पर 100 प्रतिशत सब्सिडी उर्वरक कंपनियों को लाभार्थियों को की गई वास्तविक बिक्री के आधार पर जारी की जाती है। यह सब्सिडी प्रत्येक खुदरा बिक्री केंद्र पर स्थापित पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) उपकरणों के माध्यम से लाभार्थियों के आधार प्रमाणीकरण के उपरांत जारी की जाती है। तदनुसार, उत्तर प्रदेश सहित देश के सभी किसानों को बिना किसी मनाही आधार पर सब्सिडीयुक्त दरों पर उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। भारत सरकार द्वारा गत तीन वर्षों, अर्थात् वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक संवितरित कुल उर्वरक सब्सिडी का विवरण निम्नानुसार है:

			आँकड़े करोड़ रुपये में
वित्त वर्ष	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26**
संवितरित राशि	195420.51	177129.50	217175.73

इसके अतिरिक्त, यूरिया सब्सिडी स्कीम के तहत, किसानों को सांविधिक रूप से अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर यूरिया उपलब्ध कराया जाता है। 45 किग्रा यूरिया की बोरी का एमआरपी 242 रुपए प्रति बोरी (नीम लेपन के प्रभार और यथा लागू करों को छोड़कर) है। फार्म गेट पर यूरिया की सुपुर्दगी लागत और यूरिया इकाइयों द्वारा निवल बाजार प्राप्ति के बीच का अंतर भारत सरकार द्वारा यूरिया उत्पादक/आयातक को सब्सिडी के रूप में दिया जाता है। तदनुसार, देश के सभी किसानों को सब्सिडी प्राप्त दरों पर यूरिया की आपूर्ति की जा रही है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने 01.04.2010 से फॉस्फेटयुक्त एवं पोटाशयुक्त (पीएंडके) उर्वरकों के लिए पोषक तत्त्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) स्कीम लागू की है। एनबीएस स्कीम के अंतर्गत फॉस्फेटयुक्त एवं पोटाशयुक्त उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) को नियंत्रण-मुक्त (Decontrolled) किया गया है तथा कंपनियाँ अपनी व्यावसायिक उतार चढ़ाव के अनुसार युक्तिसंगत स्तर पर एमआरपी निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। अधिसूचित पीएण्डके उर्वरकों पर उनमें विद्यमान पोषक तत्त्वों की मात्रा के आधार पर, मौसम के दौरान पॉइंट ऑफ सेल (PoS) पर की गई बिक्री के लिए उत्पादकों/आयातकों को एनबीएस सब्सिडी प्रदान की जाती है, ताकि किसानों को उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। पीएण्डके उर्वरकों के लिए एनबीएस सब्सिडी दरों का निर्धारण करते समय प्रमुख उर्वरकों एवं कच्चे माल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में उतार-चढ़ाव को भी ध्यान में रखा जाता है, जिससे उर्वरक किसानों के लिए सुलभ एवं वहनीय बने रहें।

डीएपी को, जो कि एक प्रमुख उर्वरक है, 1350 रूपए प्रति 50 किलोग्राम बोरी की किफायती कीमत पर उपलब्ध कराने के लिए, एनबीएस सब्सिडी के अतिरिक्त 3500 रु प्रति मीट्रिक टन का विशेष प्रावधान किया गया है जिसमें 'अन्य लागतों', जैसे कारखाने के गेट से फार्म गेट तक की लागत, अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि/कमी के कारण लाभ/नुकसान को कवर करने के लिए प्रावधान, एमआरपी में शामिल जीएसटी घटक के लिए प्रावधान और निवल एमआरपी (एमआरपी-जीएसटी) के 4% की दर से उचित रिटर्न का प्रावधान शामिल हैं। ये प्रावधान खरीफ 2026 मौसम के लिए एनबीएस सब्सिडी के अलावा आयातित और घरेलू डीएपी दोनों तथा आयातित टीएसपी के लिए भी किया गया है ताकि उर्वरकों की कीमतों को स्थिर रखा जा सके।

उर्वरकों की कालाबाजारी और अन्य कदाचारों के मामलों को रोकने के लिए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत उर्वरकों को आवश्यक वस्तु घोषित किया गया है और उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, राज्य सरकारों को उल्लिखित कदाचारों में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की पर्याप्त शक्तियां दी गई हैं। इन कदाचारों के बारे में उर्वरक विभाग के स्तर पर मिली कोई भी शिकायत संबंधित राज्य सरकार को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के तहत उचित कार्रवाई करने के लिए भेजी जाती है।

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, चल रहे खरीफ मौसम 2026 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य में कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 9,896 निरीक्षण किए गए तथा दोषियों के विरुद्ध 36 प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIRs) दर्ज की गई हैं।

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24.07.2026 को 'भाव्य-रसायन (भारत औद्योगिक विकास योजना-रसायन)' योजना को चुनौती मार्ग (Challenge Route) के अंतर्गत देश में तीन समर्पित रसायन पार्कों (Chemical Parks) की स्थापना के लिए ₹3,030 करोड़ के कुल बजटीय परिव्यय के साथ अनुमोदित किया है। चुनौती मार्ग (Challenge Route) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार रसायन पार्क की स्थापना के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक रसायन पार्क के लिए केंद्र सरकार द्वारा अधिकतम ₹1,000 करोड़ तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, बशर्ते संबंधित राज्य सरकार का न्यूनतम अंशदान ₹500 करोड़ हो।

अनुलग्नक

यह अनुलग्नक लोक सभा के दिनांक 07.08.2026 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3322 के उत्तर के भाग (क) से संबंधित है।

उत्तर प्रदेश में खरीफ़ 2026 मौसम (05.08.2026 तक) के दौरान उर्वरक की उपलब्धता की स्थिति

क्र.सं.	जिला	यूरिया			डीएपी			एनपीके			एमओपी		
		उपलब्धता	बिक्री	अंतिम स्टॉक	उपलब्धता	बिक्री	अंतिम स्टॉक	उपलब्धता	बिक्री	अंतिम स्टॉक	उपलब्धता	बिक्री	अंतिम स्टॉक
1	आगरा	42,435	21,968	20,466	15,530	5,584	9,946	14,697	1,825	12,872	8,435	1,166	7,270
2	अलीगढ	70,342	49,173	21,169	19,782	11,305	8,477	9,799	1,329	8,470	5,130	380	4,751
3	अंबेडकरनगर	43,160	29,465	13,695	7,366	4,922	2,445	3,943	950	2,993	183	62	121
4	अमेठी	33,286	22,528	10,758	8,114	4,353	3,760	2,858	984	1,873	112	25	87
5	अमरोहा	53,761	42,578	11,184	9,157	4,667	4,490	8,873	4,632	4,241	520	173	347
6	औरैया	36,354	18,465	17,889	13,285	5,520	7,765	4,272	526	3,746	1,996	1,284	713
7	अयोध्या	49,576	34,955	14,621	8,685	4,214	4,471	7,755	1,434	6,321	1,071	278	793
8	आजमगढ़	55,785	27,039	28,746	13,686	5,947	7,738	10,636	2,189	8,447	545	74	472
9	बागपत	28,527	21,511	7,016	8,729	4,813	3,916	2,641	914	1,727	1,223	657	566
10	बहराईच	56,956	41,118	15,838	12,842	8,920	3,922	8,505	2,468	6,036	763	326	437
11	बलिया	35,324	13,759	21,565	9,578	2,914	6,664	6,717	1,006	5,711	1,303	101	1,203
12	बलरामपुर	43,260	29,872	13,387	5,563	1,377	4,186	2,034	472	1,562	85	35	50
13	बाँदा	19,956	3,922	16,035	5,717	2,219	3,498	3,464	649	2,815	90	23	68
14	बाराबंकी	97,430	83,607	13,823	22,863	12,794	10,069	38,327	11,908	26,419	7,756	1,832	5,924
15	बरेली	84,151	59,557	24,594	17,145	8,434	8,712	19,221	5,144	14,077	3,036	674	2,362
16	बस्ती	55,109	41,044	14,065	10,279	4,023	6,256	10,286	1,271	9,015	1,294	193	1,101
17	भदोही	11,127	5,925	5,202	4,242	1,635	2,607	1,389	231	1,158	100	10	90
18	बिजनौर	90,521	76,174	14,347	16,383	12,534	3,849	3,215	1,545	1,670	680	376	303
19	शाहजहांपुर	95,616	63,394	32,222	19,380	8,836	10,544	12,516	2,842	9,674	3,792	560	3,232
20	बुलन्दशहर	99,760	76,491	23,269	28,282	13,898	14,384	7,196	1,694	5,502	3,840	945	2,895
21	चंदौली	27,512	7,852	19,659	9,785	6,025	3,760	5,458	1,411	4,047	444	63	382
22	चित्रकूट	15,278	3,654	11,624	4,948	2,703	2,246	2,007	458	1,550	69	5	64
23	देवरिया	47,909	25,592	22,317	12,452	4,645	7,807	11,480	2,809	8,671	2,534	146	2,389
24	एटा	56,097	30,430	25,668	17,334	6,199	11,135	4,864	930	3,934	15,455	1,085	14,371
25	इटावा	37,971	16,163	21,808	11,424	3,578	7,846	2,335	288	2,047	283	50	232
26	फर्रुखाबाद	55,333	33,985	21,349	11,566	4,128	7,438	21,949	3,314	18,635	5,799	433	5,365
27	फ़तेहपुर	53,896	28,230	25,666	14,077	5,379	8,699	14,854	2,095	12,759	1,363	222	1,141
28	फिरोजाबाद	38,601	21,403	17,198	12,131	6,002	6,129	3,919	505	3,414	6,200	915	5,285
29	गौतमबुद्धनगर	15,544	9,661	5,883	4,664	1,473	3,191	759	464	295	161	74	88
30	गाजियाबाद	16,286	9,421	6,865	4,369	1,633	2,736	632	175	457	223	14	208
31	गाजीपुर	51,755	19,935	31,819	14,384	5,969	8,414	12,901	4,345	8,556	2,571	121	2,450
32	गोंडा	68,520	52,107	16,413	14,611	7,639	6,971	8,466	1,759	6,707	1,068	407	661
33	गोरखपुर	54,157	29,310	24,848	15,198	5,739	9,458	11,852	1,589	10,263	2,418	189	2,229
34	हमीरपुर	18,298	4,948	13,349	6,212	1,950	4,262	2,780	577	2,202	30	16	14
35	हापुड	28,898	21,037	7,861	8,975	3,992	4,983	2,231	694	1,537	641	224	417
36	हरदोई	97,618	65,575	32,043	17,178	10,742	6,436	12,119	2,614	9,505	675	230	445
37	हाथरस	43,553	27,101	16,452	14,038	8,812	5,226	4,194	909	3,285	6,413	1,309	5,104
38	जालौन	21,105	6,509	14,595	12,693	4,776	7,918	1,775	160	1,615	356	19	337

39	जौनपुर	56,306	23,692	32,614	12,687	5,347	7,340	8,563	1,470	7,093	2,619	128	2,491
40	झांसी	24,840	6,628	18,212	14,227	6,455	7,772	2,659	455	2,204	31	-	31
41	कन्नौज	43,926	25,019	18,906	13,049	5,534	7,515	19,034	3,879	15,155	4,529	929	3,600
42	कानपुर देहात	41,569	16,704	24,865	10,878	3,190	7,687	8,361	1,067	7,294	314	11	303
43	कानपुर नगर	45,499	18,584	26,915	15,074	5,067	10,007	20,900	2,636	18,265	2,057	72	1,985
44	कासगंज	42,282	30,972	11,310	10,976	6,131	4,845	3,622	969	2,653	1,214	151	1,064
45	कौशांबी	36,322	8,943	17,379	8,762	3,762	5,000	11,051	2,236	8,815	1,785	315	1,470
46	खेरी	135,572	118,215	17,357	14,678	10,189	4,489	23,797	10,760	13,037	2,637	1,624	1,013
47	कुशीनगर	62,136	44,634	17,503	12,983	6,369	6,615	11,340	3,684	7,656	1,768	734	1,034
48	ललितपुर	16,620	2,646	13,974	12,928	1,977	10,952	7,163	381	6,782	71	6	65
49	लखनऊ	26,967	14,787	12,180	9,318	4,177	5,141	4,775	703	4,072	666	42	624
50	महाराजगंज	63,181	41,943	21,239	18,365	12,334	6,032	9,588	2,261	7,327	1,641	241	1,400
51	महोबा	10,805	619	10,186	5,625	290	5,334	1,433	37	1,396	-	-	-
52	मैनपुरी	61,985	37,327	24,658	13,599	4,876	8,723	6,029	1,076	4,953	4,302	1,032	3,270
53	मथुरा	46,556	26,014	20,542	13,962	7,098	6,864	3,000	564	2,436	609	177	432
54	मऊ	29,541	14,849	14,692	8,662	3,050	5,612	5,919	1,353	4,566	482	40	442
55	मेरठ	62,717	48,420	14,297	15,319	7,992	7,327	8,378	1,347	7,030	2,366	618	1,748
56	मिर्जापुर	28,421	13,826	14,595	13,881	8,852	5,028	7,643	2,851	4,792	169	46	123
57	मुरादाबाद	68,241	50,050	18,192	7,247	3,208	4,038	16,374	4,609	11,765	2,825	378	2,447
58	मुजफ्फरनगर	65,627	54,770	10,857	14,207	8,101	6,107	2,188	1,449	739	945	530	416
59	पीलीभीत	80,665	59,861	20,804	13,081	7,372	5,709	6,813	2,578	4,235	1,167	776	391
60	प्रतापगढ़	38,135	20,570	17,565	8,742	3,877	4,865	8,866	2,016	6,849	335	91	245
61	प्रयागराज	70,735	36,642	34,093	19,441	10,035	9,406	25,567	4,255	21,312	4,545	508	4,037
62	रायबरेली	53,899	30,712	23,187	14,044	7,925	6,119	14,016	2,621	11,395	351	40	311
63	रामपुर	56,314	45,641	10,674	10,058	4,724	5,334	10,222	4,792	5,429	1,060	238	821
64	सहारनपुर	64,943	46,412	18,531	20,533	12,811	7,722	4,479	2,095	2,384	1,165	595	570
65	संभल	85,428	61,579	23,849	12,955	5,482	7,472	25,360	7,233	18,127	1,727	597	1,130
66	संतकबीरनगर	31,155	16,644	14,510	7,223	2,289	4,934	3,531	506	3,026	467	71	396
67	शाहजहांपुर	121,995	92,353	29,642	18,317	9,005	9,312	10,625	4,059	6,566	2,494	1,248	1,247
68	शामली	36,945	27,617	9,328	5,679	3,950	1,729	781	433	347	369	235	134
69	श्रावस्ती	25,966	16,976	8,990	5,548	2,954	2,594	3,512	1,412	2,100	63	9	54
70	सिद्धार्थनगर	51,968	34,599	17,368	11,846	7,074	4,773	9,110	3,034	6,076	667	166	500
71	सीतापुर	85,702	73,313	12,389	22,416	15,643	6,773	19,788	5,251	14,538	1,783	700	1,083
72	सोनभद्र	24,491	12,437	12,055	12,897	9,382	3,515	5,501	1,979	3,522	194	65	129
73	सुल्तानपुर	41,412	25,551	15,861	7,473	3,592	3,881	5,528	868	4,661	279	52	227
74	उन्नाव	46,017	21,918	24,099	12,771	5,211	7,560	7,576	1,019	6,557	640	59	581
75	वाराणसी	23,186	9,502	13,684	8,232	4,276	3,956	8,779	1,677	7,102	1,699	111	1,588
कुल		**3,758,834**	**2,416,425**	**1,342,409**	**920,327**	**449,892**	**470,436**	**654,789**	**158,725**	**496,064**	**138,695**	**27,327**	**111,368**